भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1149

उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

ट्रांसजेंडर छात्रों का नामांकन और प्रतिधारण

1149 **सुश्री स्वाति मालिवाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की संख्या और प्रतिशत, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर कितनी है और यह सिसजेंडर छात्रों की उक्त दर की तुलना में कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए लक्षित छात्रवृत्ति, आवासीय सहायता या कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं या शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो शुरू किए जाने वाले वर्ष, बजटीय आवंटन, कार्यान्वयन एजेंसियां और अब तक सम्मिलित लाभार्थियों की संख्या सहित उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) और उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पर ट्रांसजेंडर डेटा का संग्रह क्रमशः शैक्षणिक वर्ष 2021-22 और 2020-21 से शुरू किया गया था।

एआईएसएचई के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2022-23 (अनंतिम) तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और यूडाइज़+ के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक स्कूलों में नामांकित ट्रांसजेंडर छात्रों राज्य-वार की संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ख): यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक ट्रांसजेंडर छात्रों सहित भारत में स्कूली छात्रों की ड्रॉपआउट दर निम्नानुसार उपलब्ध है:

वर्ष	ड्रॉप आउट दरें - कुल								
	प्राथमिक (1 to 5)			उच्च प्राथमिक (6 to 8)			माध्यमिक (9-10)		
	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल
2019-20	1.67	1.22	1.45	2.22	2.96	2.58	17.01	15.05	16.07

वर्ष	ड्रॉप आउट दरें - कुल								
	प्राथमिक (1 to 5)			उच्च प्राथमिक (6 to 8)			माध्यमिक (9-10)		
	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल
2020-21	0.8	0.7	0.8	1.6	2.3	1.9	14.9	14.2	14.6
2021-22	1.6	1.4	1.5	2.7	3.3	3	13	12.3	12.6
2022-23	7.8	7.8	7.8	7.9	8.3	8.1	17.3	15.4	16.4
2023-24	2.1	1.7	1.9	5.2	5.3	5.2	15.5	12.6	14.1

(ग) और (घ): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा फरवरी 2022 से एक योजना "हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम के लिए सहायता (स्माइल)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उप-घटक "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना" है। इस योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न घटक जैसे ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आजीविका, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, गरिमा गृह के रूप में सुरक्षित आश्रय, ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ का प्रावधान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सहित ई-सेवाएं और ट्रांसजेंडरों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन हैं।

उक्त योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक आवंटित निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान
2021-22	25.00
2022-23	46.32
2023-24	63.22
2024-25	67.46

कुल 1,369 लाभार्थियों ने गरिमा गृहों की सुविधाओं का लाभ उठाया है। विभिन्न क्षेत्रीय कौशल परिषदों आदि के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 725 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) द्वारा 725 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा 181 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। दिनांक 25.07.2025 तक 28,060 ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।

*****